(57)

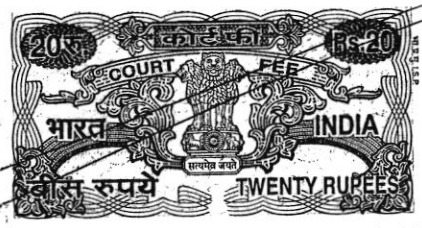

समक्ष माननीय सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल म0प्र0

प्रकरण क्र.निगरानी– / ~~पीबीआर/18~~ विदिशा 7/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/0339

भगवती प्रसाद आ0 श्री बल्देव प्रसाद
कृषक ग्राम खैरूआ पडरात तहसील गुलाब गजं
जिला विदिशा हाल मुकाम अशोक नगर जिला
अशोक नगर म0प्र0 ...आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा –
तहसीलदार महोदय तहसील गुलाब गंज
जिला विदिशा म0प्र0 ....अनावेदक

(59) अभिभाषक श्री ... द्वारा आज दिनांक 06/11/2018 को पेश। अधीक्षक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान आयुक्त भोपाल सभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क्र0 38/अपील/16–17 में पारित आदेश दिनांक 22/11/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि ग्राम खेरूआ तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा क्र0 80, 89, 104, 107, 108, 114/2, 146, 165, 166, 174, 176, 199, एवं ख़सरा क्र0 201 कुल किता 13 रकवा 24.250 हेक्टयँर भूमि के सबन्ध में माननीय व्यवहार न्यायालय के समक्ष आवेदक के पक्ष में दिनांक 13/05/88 को समझौता हो गया है । आवेदक पुर्व से ही उक्त भूमि का भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी है । परन्तु उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियो के नाम का इन्द्राज है । इसलिये उक्त भूमि पर आवेदक के नाम का इन्द्राज किया जावे । प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान ही आवेदक द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण क्र0 16/एक–85 में पारित आदेश दिनांक 19/05/94 कि प्रति भी प्रस्तुत कि गयी। परन्तु अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत माननीय व्यवहार न्यायालय के समझौता आदेश एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश पर नियमानुसार विचार किये विना प्रकरण क्र0 51/अ–6/12–13 में पारित आदेश दिनांक 25/11/14 के द्वारा आवेदक कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय ग्यारसपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने भी प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं प्रकरण कि परिस्थितियो पर नियमानुसार विचार किये विना इस आधार पर अपील को निरस्त करने के आदेश दिये गये कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में ऐसा कोई आदेश

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/0339 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.01.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि सिविल न्यायालय विदिशा द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि स्वामी घोषित करने के संबंध में कोई आदेश/डिक्री पारित नहीं की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सिविल न्यायालय विदिशा के समक्ष कोई भी राजीनामा नहीं हुआ है जिसे न्यायालय द्वारा पारित आदेश/डिक्री का अभिन्न अंग माना गया हो। उनका यह निष्कर्ष भी उचित है कि डिक्री सिविल न्यायालय द्वारा डिक्रीधारी का आवेदन निरस्त किए जाने संबंधी आदेश पारित किए जाने के 25 वर्ष बाद बिना किसी पर्याप्त कारण के नामांतरण किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया जाना विधिसंगत नहीं है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधि संगत है तथा उसमें प्रथम दृष्टया ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जाए। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती हैं। प्रशासकीय सदस्य	